

## मानक शर्तें

(वन अनुभाग 3, उ० प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 दिनांक 31-12-85 द्वारा निर्धारित)

- 1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति संरक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसका किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5- हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान पावरग्रिड को करना होगा।
- 6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये गुनारे आदि की भी देख भाल करेगा।
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।
- 10- वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो

(मुकेश शर्मा)  
प्रमाणित वनाधिकारी  
हाथरस वन प्रभाग  
हाथरस।  
दिनांक...19.12.18.

18/12/18

Countersigned

(S.D. Tripathi)

Divisional Director,

Social Forestry Division, Aligarh

Date...13.12.18

11-विद्युत पारेषण में प्रस्तावी पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श प्राप्त करना होगा। वन मार्ग तथा वनमार्गों के मामले में फेरबदल का याचक के सर्वे से पर्याप्त न होगा।

12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर 10 पेड़ों का रोपण तथा दस वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारण किया जायेगा, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एब 30 अंश से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बाग के पेड़ों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16- यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।

17- उपरि लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।

18- वन विभाग के वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समूचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

में " पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड " का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि " पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड " को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य है तथा " पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड " द्वारा उनका अनुपालन किया जायेगा।

(मुकेश शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग

हाथरस

दिनांक... 19/11/18..

*S.K. Singh*  
18/11/18  
S. K. Singh  
D.G.M.  
Powergrid, Allgarh

Countersigned

(S.D. Tripathi)

Divisional Directors,

Soil Forestry Division, Allgarh

Date: 13/12/18